भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2748

उत्तर देने की तारीख: 19.12.2023

नई स्वर्णिमा ऋण योजना

2748. श्री धर्मेन्द्र कश्यप:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:
श्री पल्लब लोचन दास:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की नई स्वर्णिमा ऋण योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने लाभार्थी हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की नई स्वर्णिमा ऋण स्कीम का ब्यौरा अनुबंध-'क' में दिया गया है।

(ख): इस स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-'ख' में दिया गया है।

अनुबंध-'क'

"महिलाओं के लिए नई-स्वर्णिमा स्कीम"

उद्देश्य:

सावधि ऋण के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्म-निर्भरता की भावना भरना।

पात्रता:

- इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा, समय-समय पर, यथा-अधिसूचित पिछड़े वर्गों की महिलाएं ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।

मुख्य विशेषताएं:

- एनबीसीएफडीसी की "नई-स्वर्णिमा" स्कीम का लक्ष्य समूह पिछड़े वर्ग की वे महिलाएं हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपए से कम है।
- लाभार्थी महिलाओं को 2,00,000 रुपए तक के लागत की परियोजनाओं के लिए अपनी तरफ से कोई राशि का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।
- इस स्कीम के लिए ऋण राशि पर ब्याज की दर निगम की सामान्य ऋण स्कीम की तुलना में कम है।

अधिकतम ऋण राशि : 2.00 लाख रुपए (प्रति लाभार्थी)

वित्तपोषण की पद्धति

1. एनबीसीएफडीसी ऋण : 95%
2. चैनल पार्टनर का अंशदान : 05%

ब्याज की दर

1. एनबीसीएफडीसी से चैनल पार्टनर : 2% प्रति वर्ष
2. चैनल पार्टनर से लाभार्थी : 5% प्रति वर्ष

पुनर्भुगतान

ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किश्तों में अधिकतम 8 वर्षों की अवधि में किया जाना (जिसमें मूलधन की वसूली पर 6 महीने की ऋणाधिस्थगन अवधि शामिल है) है।

अनुबंध-'ख'

नई-स्वर्णिमा स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान सहायता-प्राप्त लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020-21 (संख्या)	2021-22 (संख्या)	2022-23 (संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	15	-	-
2.	असम	61	-	-
3.	बिहार	1	-	-
4.	चंडीगढ़	-	-	-
5.	छत्तीसगढ	20	-	-
6.	दिल्ली	34	5	-
7.	गोवा	50	-	25
8.	गुजरात	230	280	180
9.	हरियाणा	-	100	-
10.	हिमाचल प्रदेश	8	50	250
11.	जम्मू एवं कश्मीर	160	275	100
12.	झारखंड	1	-	-
13.	कर्नाटक	72	-	-
14.	केरल	2020	5420	3940
15.	मध्य प्रदेश	37	-	-
16.	महाराष्ट्र	6	-	-
17.	मणिपुर	1	-	-
18.	ओडिशा	1	-	-
19.	पंजाब	541	1434	678
20	राजस्थान	553	-	-
21	तमिलनाडु	2040	-	-
22.	तेलंगाना	7	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	335	200	400
	कुल	6193	7764	5573

*****